

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट्रेक बड़ीसादड़ी
श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 110/2015 वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.
कमलाबाई पत्नी हीरालाल गायरी नि. पालाखेड़ी तह0 बड़ीसादड़ी
- वादीया

॥ बनाम ॥

- 1- मोतीयाबाई पत्नी कन्ना गायरी नि. पालाखेड़ी तह0 बड़ीसादड़ी
- 2- रामीबाई पत्नी मगनीराम खारोल नि. पालाखेड़ी तह0 बड़ीसादड़ी
- 3- भैरू पिता गोदू गायरी नि. पालाखेड़ी तह0 बड़ीसादड़ी
- 4- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा पालाखेड़ी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

- 1- कमलाबाई पत्नी हीरालाल गायरी

आ.न.	रकबा	लगान
593/1	0.20	8.40
594	0.11	4.62
589	0.15	2.85
590/1	0.02	0.84
4	0.48	16.71

- 2- भैरू पिता गोदू गायरी रामीबाई पत्नी मगनीराम खारोल

आ.न.	रकबा	लगान
593 मी	0.31	13.02
579	0.13	3.90
590 मी	0.39	16.38
3	0.83	33.30

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 13.6.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर




जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी